लोक सभा / राज्य सभा के पटल पर
रखे जाने वाले कागजात

अधिप्रमाणित

परशोत्तम रूपाला
राज्य मंत्री
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
भारत सरकार

(परशोत्तम रूपाला)
कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री

वर्ष 2016-17 के दौरान सरकार द्वारा राष्ट्रीय कोल्ड-चेन विकास केंद्र (एन.सी.सी.डी.) के कार्यक्रमों की समीक्षा

एन.सी.सी.डी. को दिनांक 27-1-2011 को सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत पंजीकृत किया गया था और सोसायटी के सदस्यों के रूप में हितधारकों के साथ सार्वजनिक-निजी-भागीदारी(पी.पी.पी.) मोड में संचालित करने के लिए संरचित किया गया था । दिनांक 09-2-2012 को कैबिनेट के अनुमोदन के बाद कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग ने समान धनराशि का कॉर्पस स्थापित करने हेतु रु.25 करोड़ का एक बार(वन टाइम) का अनुदान प्रदान किया । ताकि एन.सी.सी.डी. द्वारा ब्याज से आय और प्रदान की गई सेवाओं के लिए ली गई फीस और प्रभारों से उत्पन्न अन्य आय का इसके प्रशासनिक, कार्मिकों तथा अन्य लागतों को पूरा करने के लिए उपयोग किया जाए, जैसा कि इसे शासी परिषद द्वारा तय किया गया है । एन.सी.सी.डी की इस तरह संरचना की गई कि सरकार पर इसके संचालन और रखरखाव के लिए आगे कोई लागत का बोझ नहीं पड़ता है ।

वित्त वर्ष 2016-17 के खातों की भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यालय द्वारा नामिकागत चार्टर्ड एकाउंटेंट मेसर्स ए.पी.एन. एंड एसोसिएट्स द्वारा लेखापरीक्षा की गई थी । वित्त वर्ष 2016-17 हेतु आय एवं व्यय लेखा का सार निम्नलिखित है :

मद	लाख रुपये में
ब्याज और अन्य आय	306.59
घटाएं : प्रशासनिक व्यय	107.88
व्यय से अधिक आय	198.71
धारा 11 के तहत सकल आय के 15% की छूट	45.99
अगले 5 वर्षों हेतु 'सामान्य सार्वजनिक उपयोगिता'के उद्देश्यों के अलावा शेष राशि	152.72
कुल	198.71

एन.सी.सी.डी को जुलाई, 2015 में आयकर अधिनियम की धारा 12ए.ए. के तहत 'सामान्य सार्वजनिक उपयोगिता' के रूप में पंजीकृत किया गया था, जो इसे प्रत्येक वर्ष अपनी सकल आय के 15% के लिए आयकर से छूट का अधिकार देता है। शेष 85% सकल आय में से, अनपेक्षित राशि कर के लिए उत्तरदायी है, जब तक कि अधिनियम की धारा 11 (2) के तहत पांच साल के साथ भविष्य के खर्चों के लिए अलग-अलग सेट नहीं किया जाता है। अभी तक वित्त वर्ष 2016-17 के लिए कोई आयकर देयता नहीं है ।

एन.सी.सी.डी को दिनांक 01/04/2016 से प्रभावी कोल्ड चेन ज्ञान प्रसार के माध्यम द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं पर सेवाकर से भी छूट दी गई है ।

श्री पी. शकील अहमद, संयुक्त सचिव (एम.आई.डी.एच) ने दिनांक 23.10.2015 से दिनांक 22.9.2017 तक निदेशक, एन.सी.सी.डी का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे थे। श्री दिनेश कुमार, संयुक्त सचिव (एम.आई.डी.एच) ने दिनांक 10.10.2017 से निदेशक, एन.सी.सी.डी का अतिरिक्त प्रभार संभाला। कोल्ड-चेन उद्योग के विशेषज्ञ श्री पवनेष कोहली फरवरी, 2014 से एन.सी.सी.डी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं । निदेशक, एन.सी.सी.डी के अतिरिक्त, एन.सी.सी.डी में दिनांक 31.3.2017 तक आठ कार्मिकों की जनशक्ति(मैनपॉवर) थी ।

गतिविधियों और उपलब्धियों की समीक्षा

- एन.सी.सी.डी ने पंजाब से कर्नाटक तक किन्नू के विपणन योग्य रेंज का विस्तार करने के लिए कोल्ड-चेन का उपयोग करने के लिए एक प्रायोगिक परियोजना(पायलट प्रोजेक्ट) को पूरा किया । इस प्रायोगिक परियोजना ने कोल्ड-चेन और क्षेत्र में प्रेरित विकास से आर्थिक और पर्यावरणीय लाभ का प्रदर्शन किया है ।
- एन.सी.सी.डी ने फलों के पकने पर क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण कार्यशालाएं जारी रखीं और इस वर्ष 1435 लोगों के लिए 41 प्रशिक्षण पूरा किए गए । कोल्ड-चेन प्रौद्योगिकी और कोल्ड-चेन प्रबंधन पर अन्य क्षमता निर्माण कार्यशालाओं ने राज्य सरकार और उद्योग के 48 अधिकारियों को प्रशिक्षित किया । एन.सी.सी.डी को एम.आई.डी.एच की राष्ट्रीय स्तर की एजेंसी(एन.एल.ए) के रूप में वार्षिक कार्ययोजना में किए गए आबंटन से क्षमता निर्माण का किया जाता है ।
- कोल्ड-चेन विकास पर सरकारी योजनाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए एन.सी.सी.डी ने सदस्य संस्थानों, सी.आई.आई. तथा पी.एच.डी. के साथ एक जागरूकता कार्यक्रम शुरू किया ।
- एन.सी.सी.डी द्वारा वर्ष 2014 में कटाई के बाद(पोस्ट हार्वेस्ट) प्रोटोकॉल और खाद्य हानि के दस्तावेज के लिए एक अध्ययन शुरू किया गया था, जो इस वर्ष में पूरा हो गया । नमूना अध्ययन(सैम्पलिंग स्टडी) ने सी.आई.पी.एच.ई.टी द्वारा अध्ययन की तुलना में फलों और सब्जियों में अधिक नुकसान को उजागर किया है ।
- एन.सी.सी.डी ने कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग के लिए प्रति शहर सब्जी सप्लाई चेन पर सब्जी की खेती पर केंद्रित सफल(एस.ए.एफ.ए.एल) नेटवर्क और एफ.पी.ओ का उदाहरण लेते हुए विश्लेषण भी किया ।
- कोल्ड-चेन पुरस्कारों(अवार्ड्स) पर सी.आई.आई की पहल को एन.सी.सी.डी के साथ विकसित किया गया । ये पुरस्कार कोल्ड-चेन में उत्कृष्टता को प्रेरित करने के लिए हैं । इस वर्ष कोल्ड-चेन में ज्ञान प्रसार के तहत विभिन्न अन्य राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय कार्यशालाएं आयोजित की गईं ।
- एन.सी.सी.डी विभिन्न पहलों में सक्रिय योगदानकर्ता है और कृषि, सहकारिता और किसान

60

लोक सभा / राज्य सभा के पटल पर
रखे जाने वाले कागजात

अधिप्रमाणित

परशोत्तम रूपाला
राज्य मंत्री
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
भारत सरकार
कृषि भवन, नई दिल्ली

(परशोत्तम रूपाला)
कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री

राष्ट्रीय कोल्ड-चेन विकास केंद्र (एन.सी.सी.डी.) के वर्ष 2016-17 के लिए वार्षिक रिपोर्ट और लेखा परीक्षित लेखों को लोक सभा एवं राज्य सभा के पटल पर प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण।

एन.सी.सी.डी. को दिनांक 27-01-2011 को सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत पंजीकृत किया गया था और सोसायटी के सदस्यों के रूप में हितधारकों के साथ सार्वजनिक-निजी-भागीदारी(पी.पी.पी.) मोड में संचालित करने के लिए संरचित किया गया था। दिनांक 09-02-2012 को कैबिनेट के अनुमोदन के बाद कृषि और सहकारिता विभाग को समान धनराशि का कॉर्पस स्थापित करने हेतु रु. 25 करोड़ का एक बार(वन टाइम) का अनुदान प्रदान किया । ताकि एन.सी.सी.डी. द्वारा ब्याज से आय और प्रदान की गई सेवाओं के लिए ली गई फीस और प्रभारों से उत्पन्न अन्य आय का इसके प्रशासनिक, कार्मिकों तथा अन्य लागतों को पूरा करने के लिए उपयोग किया जाए, जैसा कि इसे शासी परिषद द्वारा तय किया गया है । एन.सी.सी.डी की इस तरह संरचना की गई कि सरकार पर इसके संचालन और रखरखाव के लिए आगे कोई लागत का बोझ नहीं पड़ता है ।

जीएफआर के प्रावधान के अनुसार, सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत पंजीकृत सोसाइटीयों, जिनको रु 50.00 लाख और उससे अधिक एकमुश्त सहायता / गैर-आवर्ती अनुदान प्राप्त हुआ है, की वार्षिक रिपोर्ट और लेखा परीक्षित लेखे, वित्तीय वर्ष की समाप्ति के नौ महीने के अन्दर सदन के पटल पर रखे जाने चाहिए। इस प्रकार एनसीसीडी की वार्षिक रिपोर्ट और लेखा परीक्षित लेखे दिसंबर, 2017 तक संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखे जाने थे। हालाँकि, वर्ष 2016-17 के लिए वार्षिक रिपोर्ट 13.12.2017 को एनसीसीडी द्वारा विभाग को प्रस्तुत की गई थी।

एनसीसीडी के एम. ओ. ए. के अनुसार वार्षिक रिपोर्ट और लेखा परीक्षित लेखों को एनसीसीडी की गवर्निंग काउंसिल के अनुमोदन की आवश्यकता होती है। गवर्निंग काउंसिल ने 21.12.2018 को आयोजित अपनी तीसरी बैठक में वार्षिक रिपोर्ट और लेखा परीक्षित लेखों

को अनुमोदित किया। तत्पश्चात वार्षिक रिपोर्ट और लेखा परीक्षित लेखों का अनुवाद किया गया और मुद्रित किया गया जिसमें कुछ समय लगा।

इसलिए, सदन के पटल पर वार्षिक रिपोर्ट और लेखा परीक्षित लेखा रखने में देरी हुई है। कृपया विलम्ब के लिए क्षमा करें।